रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L..33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1463] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936
No. 1463] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

Indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 1820(अ).–कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त है;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (76) में 'संबंधित पक्ष' पद परिभाषित है। उक्त खंड के उप-खंड (5) में 'या' शब्द अनवधानता से आ गया है और जिससे उस खंड का आशय विफल हो रहा है।

और उपबंध के अनुपालन के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अत:, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कथित कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) पांचवां आदेश, 2014 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 2 के खंड (76) के उप-खंड (5) में, "या धारण करता है" शब्दों के स्थान पर "और धारण करता है" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/5/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 1820(E).—Whereas the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And whereas clause (76) of Section 2 of the said Act define the term 'related party'. In sub-clause (v) of the said clause, the word 'or' has appeared inadvertently and therefore defeating the intention of that clause.

And whereas difficulties have arisen regarding compliance with the provision.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 470 of the Companies Act, 2013 the Central Government hereby makes the following order to remove the above said difficulties, namely :-

1. Short title and commencement.—

(1) This order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Fifth Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (v) of clause (76) of section 2, for the words "or holds", the words "and holds" shall be substituted.

[F. No. 2/5/2014-CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi.110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi.110054.